मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन – भोपाल

क्रमांक / 1806 भोपाल, दिनांक 23–8–2006

प्रति,

समस्त उपायुक्त,

वाणिज्यिक कर विभाग,

मध्यप्रदेश.

विषय :– पट्टे तथा भागीदारी के विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क चुकवाये जाने बावत् ।

–––0–––

वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत व्यवसाईयों द्वारा पंजीयन कराते समय भागीदारी विलेख/पट्टे/भाड़ा नोट के दस्तावेज वाणिज्यिक कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते है । उपर्युक्त दस्तावेजों पर राज्य में शुल्क की निर्धारित दरें ***"परिशिष्ट–अ"*** पर दर्शायी गई है ।

जानकारी प्राप्त हुई है कि व्यवसाईयों द्वारा जो भागीदारी विलेख/पट्टा विलेख/भाड़ा नोट वाणिज्यिक कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर नियत दर से स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया जा रहा है, अपितु 100 रू. के स्टाम्प पेपर पर दस्तावेज निष्पादित कर प्रस्तुत कर दिये जाते है । भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 एवं धारा 38 में निम्नानुसार प्रावधान है :–

धारा 33 – लिखतों की परीक्षा और परिबद्ध किया जाना :– हर व्यक्ति, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार रखता है और पुलिस अधिकारी के अलावा लोक कार्यालय का भार साधक हर व्यक्ति जिसके समक्ष उसकी राय में शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत उसके कृत्यों के पालन में पेश की जाती है या आ जाती है उस दशा में उसे परिबद्ध करेगा जिसमें कि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है;

धारा 38 – परिबद्ध की गई लिखतें कैसे निपटाई जायेंगी :–

(1) जहां कि धारा 33 के अधीन किसी लिखत को परिबद्ध करने वाले व्यक्ति को विधि द्वारा या पक्षकारों की सम्मति से साक्ष्य लेने का प्राधिकार है और ऐसी लिखत को वह धारा 35 द्वारा यथा उपबंधित किसी शास्ति के या धारा 37 द्वारा यथा–उपबंधित किसी शुल्क के दिये जाने पर साक्ष्य में ग्रहण कर लेता है, वहां वह ऐसी लिखत की अधिप्रमाणीकृत एक प्रति और साथ–साथ उसकी बाबत उद्ग्रहीत शुल्क और शास्ति की रकम का

निंरतर.....2

कथन करते हुए एक लिखत प्रमाण–पत्र कलेक्टर को भेजेगा और ऐसी रकम कलेक्टर को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, भेजेगा ।

(2) अन्य हर मामले में, किसी लिखत को इस प्रकार परिबद्ध करने वाला व्यक्ति उसकी मूल प्रति कलेक्टर के पास भेजेगा ।

उक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक लोक अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह उसके समक्ष प्रस्तुत असम्यक रूप से स्टाम्पित प्रत्येक लिखत को परिबद्ध कर कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेजे ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी वाणिज्यिक कर अधिकारियों को उक्त कानूनी प्रावधानों का पालन करने हेतु निर्देशित करें तथा साथ ही दिनांक 1–4–2003 के उपरांत जितने भी भागीदारी विलेख/पट्टे/भाड़ा नोट के दस्तावेज उनके कार्यालय में प्रस्तुत किये गए हों, उनकी सूची संलग्न प्रारूप में उनके जिले से संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को उपलब्ध कराएं, ताकि उनके संदर्भ में कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली की जा सके ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार.

हस्ता/–
प्रमुख सचिव,
म.प. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.

अनुच्छेद –33 :– पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर–पट्टा या उप–पट्टा तथा पट्टे या उप–पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीनीकरण करने के लिये कोई करार है –

(क)	जहां कि ऐसे पट्टे द्वारा भाटक नियत किया गया है और कोई प्रीमियम नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है –	
(1)	जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है ;	वही शुल्क जो ऐसे बंध पत्र (क्र.12) पर, ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम के लिए लगता है ।
(2)	जहां कि पट्टा ऐसे अवधि के लिए तात्पर्यित है जो एक वर्ष से कम नहीं है किंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक रकम की रकम के बंध–पत्र (क्र.12) पर लगता है ।
(3)	जहां कि पट्टा ऐसे अवधि के लिए तात्पर्यित है जो पांच वर्ष से अधिक है किन्तु दस वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के डेढ़ गुने के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है ।
(4)	जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो इस दस वर्ष से अधिक है किन्तु बीस वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है ।
(5)	जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो इस बीस वर्ष से अधिक है किन्तु तीस वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के पांच गुने के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है ।
(6)	जहां कि पट्टा ऐसी कालावधि के लिए तात्पर्यित है जो इस तीस वर्ष से अधिक है या शाश्वतिक है या निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है ।

(ख)	जहां कि पट्टा किसी जुर्माने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये धन के लिए या दिये जाने वाले अग्रिम के लिए मंजूर किया गया है और जहां कि कोई भाटक नियत नहीं है;	वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम रकम या मूल्य के जो पट्टे में उपवर्णित है, बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है; पर जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है, जो तीस वर्ष से अधिक हो या शाश्वतिक हो या निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं किया गया हो, वहां ऐसे पट्टे पर वही शुल्क प्रभार्य होगा जो पट्टे पर दी गई संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है ।
(ग)	जहां कि पट्टा किसी नियत किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम धन के लिये या दिये जाने वाले अग्रिम के लिए मंजूर किया गया है;	वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम की रकम या मूल्य, जो पट्टे में उपवर्णित है, के बराबर बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है, और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई जुर्माना, या प्रीमियम या अग्रिम नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होगा; परन्तु जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित नहीं हो, जो तीस वर्ष से अधिक है या शाश्वतिक हो या निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं हो, तो ऐसे पट्टे पर वही शुल्क प्रभार्य होगा जो पट्टे पर दी गई संपत्ति के बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण–पत्र (क्र.22) पर लगता है;

नोट :– *राज्य में वर्तमान में हस्तांतरण–पत्र पर स्टाम्प शुल्क की दर 8ः तथा बंध–पत्र पर 4ः है ।*

दिनांक 6–9–2004 से राज्य में भाड़ा नोट के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निम्नानुसार कम की गई है :–

''अधिनियम की अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 33 के अधीन भाड़ानोट की ऐसी लिखतों जिनके द्वारा मकान, दुकान, गोदाम, कार्यालय भवन आदि तथा/अथवा उनसे संलग्न भूमि किराये पर उठाए जाते है, पर स्टाम्प शुल्क निम्नानुसार विर्निदिष्ट किए अनुसार प्रभार्य होगाः—

(प)	जहां पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित हो;	ऐसे पट्टे के अधीन देय य परिदेय संपूर्ण रकम पर 1 प्रतिशत ।
(पप)	जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित हो जो एक वर्ष से कम न हो किंतु तीन वर्ष से अधिक न हो;	आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य का 2 प्रतिशत ।''

44— भागीदारी की लिखत —

(क)	जहां भागीदारी में कोई अभिदाय के शेयर नहीं हैं या जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रूपये पचास हजार से अधिक नहीं नहीं है;	एक हजार रूपये.
(ख)	जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रूपये पचास हजार से अधिक है;	अधिकतम पांच हजार रूपये के अध्यधीन रहते हुए अभिदत्त शेयरों का दो प्रतिशत.

<u>प्रारूप</u>

स. क्र.	दस्तावेज का स्वरूप एवं निष्पादन दिनांक.	निष्पादक का नाम एवं पता.	जिसके पक्ष में दस्तावेज निष्पादित है, उसका नाम एवं पता.	पट्टे के मामले में प्रीमियम तथा किराये की राशि तथा पट्टे की अवधि तथा भागीदारी विलेख के मामले में अंश पूंजी की राशि.	चुकाए गए स्टाम्प शुल्क की राशि.
1	2	3	4	5	6